न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–44 / 2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या–2022 / 229

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
अधीक्षण अभियन्ता,राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड मेडतासिटी जिला नागौर।		गुलाबचन्द पुत्र श्री रामस्वरूप आयु 34 वर्ष निवासी राठौडी कुआनागौर तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)।

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री राधेश्याम सांगवा।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेश रावल।

आदेश

दिनांक 19-07-2022

1–वकील प्रार्थी ने श्रीमान् सिविल न्यायाधीश नागौर द्वारा दी.वि.प्र.सं.–14 / 2022 गुलाबचंद बनाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर जरिये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 के कम में माफिक निर्णय मुआवजा आपत्ति निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2–वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी विभाग व्दारा 132 केवी विद्युत लाईन का कार्य भारतीय रेल्वे पथ का विद्युतीकरण हेतु किया जा रहा है जो कि भारत सरकार की जनहित हेतु एक अति महत्वपूर्ण परियोजना है। जिसका निर्माण कार्य 132 केवी गोगेलाव जी.एस.एस से रेल्वे टी.एस.एस. भदवासी तक किया जा रहा है एवं जिसका कार्य वर्तमान में निर्माणाधीन है। उक्त लाईन की निर्माण कार्य संबंधित मोनिटरिग प्रधान मंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ) भारत सरकार व्दारा की जा रही है।

2(1)–उक्त 132 केवी विद्युत लाईन 132 केवी जी.एस.एस गोगेलाव से निकलकर ग्राम कृष्णपुरा से होते हुए रेल्वे टी.एस.एस. भदवासी तक जा रही है। उक्त लाईन के टावर संख्या 20 खसरा नम्बर 530 / 220 में प्रस्तावित है। उक्त लाईन के टावर संख्या 20 के फाउण्डेशन / स्टब सेटिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त टावर के इरेक्शन व तार खींचने का कार्य शेष है।

2(2)–उक्त कार्य के दौरान दिनांक 01.04.2022 को अप्रार्थी व्दारा माननीय न्यायालय सिविल जज नागौर के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 14 / 2022 पेश किया गया था जिसमें दिनांक 31.5.2022 को हुए आदेश में लिखा गया है कि प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि प्रार्थीगण जिला मजिस्ट्रेट नागौर के समक्ष अप्रार्थी के व्दारा मुआवजा राशि बाबत / भूमि के उपयोग में कमी आने बाबत / वैकल्पिक रास्ता होने बाबत / लाईन के अलाइमेन्ट बाबत व अन्य आपतियो बाबत जिला मजिस्ट्रेट से निष्कर्ष प्राप्त करने के पश्चात विधि अनुसार कार्यवाही करेगे।

2(3)–उक्त 132केवी विद्युत लाईन भारतीय रेल्वे पथ का विद्युतीकरण हेतु किया जा रहा है जो कि भारत सरकार के जनहित हेतु एक अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में भी यह माना है कि अगर अस्थायी निषेधाज्ञा के व्दारा 132 केवी हाइटेंशन लाईन डालने से रोका जाता

कलक्टर, नागौर

है तो उससे आम जनता को काफी असुविधा होने की संभावना है। क्योकि 132 केवी हाईटेंशन लाईन की परियोजना आम जनता के हित के लिए की जा रही है। यह परियोजना जून 2022 तक पूर्ण की जानी है। इस परियोजना में कुल 38 टावरो में से 37 के फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 38 में से 18 टावरो को खडा भी किया जा चुका है साथ ही 7 टावरो पर तार खीचने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

2(4)–उपरोक्त संबंध में प्रार्थी का स्पष्ट जबाब शुरू में ही रहा है कि विभाग भूमि अवाप्त ही नहीं कर रहा, भूमि का स्वामी तो खातेदार ही रहेगा विभाग मात्र लाईन खीचने हेतु टावर खडा कर रहा है। जमीन का उपयोग अप्रार्थी ही करते रहेगे। अप्रार्थीगण जमीन पर काश्त करने को स्वतंत्र है एवं लाईन के अलाईमेन्ट वगैरा के बारे में बताना चाहेगे कि सम्पूर्ण लाईन तकनीकी सर्वे के बाद ही कम से कम दूरी वाले पथ पर लाईन डाली जा रही है इसलिए कुछ खम्भो का मार्ग बदलना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसलिए न्यायालय व्दारा अन्य रास्ते की बात भी संभव नहीं है। क्योकि प्रार्थी लघुतम मार्ग पर ही तकनीकी सर्वे की स्वीकृति के अनुसार कार्य कर रहे है। तथा अप्रार्थी को किसी प्रकार का नुक्सान कारित नहीं हो रहा है। राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण में प्रचलित किन्हीं नियमो/अधिनियमो के तहत भूमि के संबंध में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी ने अपने वाद में किसी प्रकार का मुआवजे की मांग नहीं की थी मात्र प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिए कार्य रोकने की मांग की थी। माननीय अदालत ने अपने आप ही मुआवजे की बात अपने निर्णय में लिखी है। इसलिए मुआवजे का कोई औचित्य नहीं रह जाता। भारतीय विधुत अधिनियम 2003 अनु. 164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत ही कार्य कर रहे है। इसलिए न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश नागौर के आदेश दिनांक 31.5.2022 के सन्दर्भ में प्रार्थी व्दारा प्रार्थना पत्र पेश गया है, का कथन करते हुए प्रार्थी को तार खीचने/लाईन डालने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

3–वकील अप्रार्थी श्री राजेश रावल ने बहस में कथन किया कि यह सही है कि 132 केवी विधुत लाईन 132 केवी जी एस एस गोगोलाव से निकल कर ग्राम कृष्णपुरा से होते हुऐ रेल्वे टी एस एस भदवासी तक खीचीं जा रही है। किन्तु उक्त लाईन के टावर संख्या 20 जो कि विभाग के अनुसार खसरा नम्बर 530/220 में प्रस्तावित बतलाया जा रहा है, उक्त टावर के फाउण्डेशन /स्टब सेटिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, व उक्त टावर के इरेक्शन व तार खीचनें का कार्य शेष हो गलत होने से अस्वीकार है। टावर संख्या 20 के स्थान पर मात्र फाउण्डेशन भरा गया है टॉवर खडा नही किया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के समक्ष प्रस्तुत वाद तथा स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से तथ्यों का उल्लेख करते हुऐ मौके के हालात के वास्तविक फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किऐ गऐ है। जिन में कहीं भी प्रार्थी के कथनानुसार टावर खडा किया हुआ होना व मात्र इरेक्शन व तार खीचनें का कार्य शेष होना प्रमाणित नही होता है।

3(1)–यह सही है कि अप्रार्थी द्धारा माननीय सिविल जज नागौर के समक्ष उक्त टावर को अपनी भूमि में स्थापित करने से रूकवाने हेतु वाद पत्र व अस्थाई व्यादेश का आवेदन प्रस्तुत किया था। यह भी सही है कि उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 31.5.2022 को अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जा कर प्रार्थी द्धारा बताऐ अनुसार आदेश पारित किया गया था। किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो विषय अंकित किया गया है वह अपूर्ण है। प्रार्थी द्वारा इस आवेदन पत्र को मात्र मुआवजा राशि बाबत आपत्ति होने का आवेदन बतलाया है जब कि अप्रार्थी की आपत्ति सिविल न्यायालय के समक्ष यह रही है कि उक्त भूमि प्रार्थी की खरीद सुदा कब्जा सुद स्वामित्व की भूमि है तथा जिस का उपयोग उपभोग औधोगिक प्रयोजनार्थ करना चाहता है, जिस के चलते अप्रार्थी की खरीद सुदा भूमि पर न तो प्रार्थी विभाग द्वारा किसी प्रकार के विधुत पोल स्थापित न किऐ जाने न अप्रार्थी की भूमि में 132 के वी की लाईन ही स्थापित की जावे। किन्तु प्रार्थी द्धारा मात्र आवेदन पत्र को मुआवजा राशि आवेदन पत्र बतला कर प्रस्तुत किया है। जो पूर्णतः गलत है। माननीय सिविल न्यायालय के जिस आदेश की

कलक्टर, नागौर

अनुपालना में प्रार्थी ने यह आवेदन पेश किया है उस में सिविल न्यायालय द्वारा केवल मुआवजा राशि का ही उल्लेख नही किया है बल्कि भूमि के उपयोग में कमी आने बाबत वेकल्पिक व्यवस्था होने बाबत लाईन के ऐलाईन्मेन्ट या अन्य आपत्तिया जो सिविल न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी ने पेश की है उन सभी के निस्तारण हेतु श्रीमान के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किऐ गऐ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा को इन सभी बिन्दुओं पर गौर करते हुऐ प्रकरण में सुनवाई की जानी है न कि मात्र मुआवजा की आपत्ति बाबत।

3(2)–प्रार्थी का कथन है कि माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि अस्थाई व्यादेश के दौरान 132 केवी लाईन डालने से रोका जाता है तो आम जनता को असुविधा होगी क्यों कि उक्त परियोजना आम जनता के लिए ही है। किन्तु सिविल न्यायालय द्वारा यह कही नही माना गया है कि 132 केवी की हाई टैशन लाईन 2022 तक पूर्ण किया जाना है साथ ही परियोजना में 38 में से 37 के फाण्डेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है व उन में से 18 टावरों को खड़ा किया जा चुका है व 7 टावरो पर तार खीचनें का कार्य पूर्ण किया जा चुका है यह तथ्य सिविल न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहीं अंकित नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष सिविल न्यायालय के आदेश की गलत रूपसे व्याख्या कर प्रस्तुत की जा रही है।

3(3)–प्रार्थी स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि अप्रार्थी की जिस भूमि पर प्रार्थी द्वारा टावर खडा किया जाना है, वह भूमि सरकारी भूमि नही है उस का खातेदार अप्रार्थी हैं प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी विभाग द्वारा भूमि अवाप्त नही की जा रही है स्वामी खातेदार ही रहेगा मात्र विभाग लाईन खीचनें हेतु टावर खडा कर रहा है। बडा ही हास्यास्पद तथ्य है एक तरफ तो प्रार्थी भूमि में टावर खडा कर रहा है दूसरी तरफ भूमि के स्वामी को इस के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सूचना दिऐ बिना व उन की स्वीकृति के बिना कार्य करवाने पर उतारू है जैसा करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नही है। प्रार्थी की खरीद सुदा भूमि का क्षेत्रफल 0.4047 हैक्टयर मात्र है जिस में एक छोटा लघु उधोग स्थापित हो सकता है जिस के लिऐ अप्रार्थी की कार्य योजना तैयार की हुई है। अप्रार्थी इस पर वैयर हाउस की कार्य योजना पर कार्य कर रहा है तथा इस इतनी छोटी उधोग प्रयोजनार्थ रूपान्तरणसुदा भूमि में से भी भूमि के मध्य टावर खडा कर 132 केवी की हाई टेन्शन विधुत लाईन खीचं दी जाती है तो अप्रार्थी अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से पूरी तरह से महरूम हो जायेगा तथा इतनी छोटी भूमि में टावर लगने के बाद न तो वैयर हाउस न कोई अन्य उधोग स्थापित हो पायेगा तथा ही उपरोक्त उधोग में कार्य करने वाले श्रमिकों व कार्मिकों का जीवन ही सुरक्षित रह पायेगा तथा न कोई कार्मिक टावर की भूमि जिस पर से हाई टेन्शन लाईन निकल रही हो ओर सम्भावित खतरा हर समय मण्डरा रहा हो उस पर कार्य करने को तैयार होगा। अप्रार्थी की भूमि की खरीद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा बेश कीमती भूमि बेकार हो जायेगी। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी जमीन पर काश्त करने को स्वतन्त्र तो उस के सम्बन्ध में निवेदन है कि इतनी छोटी भूमि जो कि काश्त से अन्य योजना के लिऐ रूपान्तरण सुदा है जिस पर किसी प्रकार की काश्त सम्भव नही है यह भूमि तो केवल मात्र उधोग व्यवसाय हेतु ही कय की हुई है तथा इसी हेतु रूपान्तरित है। इस कारण से काश्त का कोई प्रश्न ही नही है। प्रार्थी का यह कहना कि सम्पूर्ण लाईन तकनीकी सर्वे के बाद कम से कम दूरी वाले पथ पर लाईन डाली जा रही है इसलिए कुछ खम्भों का मार्ग बदलना तकनीकी रूप से सम्भव नही है अस्वीकार है। कम से कम दूरी वाले पथ पर लाईन डाले जाने का तात्पर्य कतई नही हो सकता कि विभाग बिना भूमि अवाप्त किऐ अथवा बिना भू स्वामी को इत्तिला दिऐ मन मर्जी से किसी के स्वामित्व की भूमि पर टावर खडा करने का अधिकार रखता हो। सिविल न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर करने के बाद अस्थाई व्यादेश के आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में होना माना। यह गलत है कि अप्रार्थी को किसी प्रकार का नुक्सान नही हो रहा हो बल्कि इतनी छोटी भूमि के मध्य टावर लगा कर हाई टेन्शन विधुत लाईन लग जाने के बाद अप्रार्थी की प्रस्तावित योजना जो वेयर हाउस निर्माण की है

कलक्टर, नागौर

वह बिल्कुल समाप्त हो जावेगी भूमि का उपयोग ही समाप्त जावेगा तथा उस की बेशकीमती जमीन बरबाद हो जावेगी किसी उपयोग की नही रहेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को अत्यधिक नुकसान होना निश्चित है। जंहा तक राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण में प्रचलित नियमों के तहत भूमि के सम्बन्ध में मुआवजों का कोई प्रावधान नही होने का तथ्य बतलाया गया है तथा उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के मुआवजा की मांग न करने के बाद भी सिविल न्यायालय द्वारा मुआवजा की बात निर्णय में अंकित करने का तथ्य अंकित किया गया है तथा मुआवजा का कोई औचित्य नही रह जाने का अंकन किया है, तो उस के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी जिस अधिनियम के तहत यह तथ्य लिख रहा है वह मुआवजा की राशि कृषि भूमि पर टावर लगाने से सम्बन्धित तथ्य है न कि आवासीय भूमि अथवा औधोगिक भूमि के बाबत है। अप्रार्थी की भूमि कृषि भूमि नही है बल्कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग की बेशकीमती व बहुत ही छोटी साईज की भूमि है जिस पर टावर लगाने से उस का उपयोग समाप्त हो जावेगा। इस कारण से अप्रार्थी को भूमि की ही आवश्यकता है न कि मुआवजा की। इस कारण से किसी प्रकार का मुआवजा अप्रार्थी ले कर भूमि अवाप्त करवाना नही चाहता है। जंहा तक टावर का प्रश्न है इस भूमि के पास ही सरकारी राजकीय खुली भूमि मौजूद है जंहा बहुत ही मामूली ऐलाईन्मेन्ट चैंज करने से सरकारी भूमि पर प्रस्तावित टावर लग सकता है जिससे अप्रार्थी को व अन्य किसी को कोई आपत्ति होने का प्रश्न नही है। प्रार्थी भारतीय विधुत अधिनियम 2003 अनु संख्या 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1865 के तहत कार्य कर रहे है ऐसा उल्लेख प्रार्थी ने किया है। मगर उपरोक्त दोनो अधिनियमों में किसी प्रकार से ऐसा कोई प्रावधान नही है कि किसी भी व्यक्ति के निजी स्वामित्व की उधोग प्रयोजनार्थ अत्यधिक छोटी भूमि में किसी प्रकार से बिना स्वामी की सहमति के टावर स्थापित किया जा सके व उस को निजी तौर पर नुकसान कारित किया जा सके। जंहा तक कृषि भूमि के सम्बन्ध में टावर का प्रश्न है वह नाप चौप में बड़ी होती है तथा स्वामी को मात्र खातेदार अधिकार ही प्राप्त होता है जब कि यह भूमि न तो नाप में बडी है तथा न अप्रार्थी खातेदार है बल्कि अप्रार्थी स्वयं इसका स्वामी है जो अपनी भूमि को उपरोक्त टावर के लिए किसी मुआवजा पर देने को तत्पर नही है न ही अप्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष किसी मुआवजा राशि की मांग ही की गई है। बल्कि प्रार्थी ने उक्त आवेदन का विषय सिविल न्यायालय के निर्णय एवं उपरोक्त वर्णित अधिनियमों के विपरीत जा कर मुआवजा बाबत आपत्ति निस्तारण अंकित किया है जब कि दूसरी ओर प्रार्थी स्वयं मुआवजा का प्रावधान न होने का तथ्य आवेदन में अंकित कर रहा है तो यह आवेदन व प्रार्थी का कथन एक दूसरे के विरोधाभाषी तथ्य है। इससे कहीं पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रार्थी माननीय न्यायालय हाजा से आवेदन पत्र पेशकर किस विषय का निस्तारण करवाना चाहता है। स्वयं प्रार्थी भ्रामक स्थिति में है व भ्रामक तथ्य अंकित कर रहा है। ऐसी हालत में प्रार्थी का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किऐ जाने योग्य है। अप्रार्थी की भूमि पर टावर लगाने से प्रार्थी को रोका जा कर प्रार्थी को पास ही स्थित राजकीय भूमि पर टावर लगाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है। जंहा तक तकनीकी रूप से डी ग्रुप के टावर व लाईन का प्रश्न है डी ग्रुप की लाईन को 90 डिग्री तक घुमाया जा सकता है तथा डी ग्रुप की लाईन को घुमा कर लगाये जाने में कोई परेशानी उत्पन्न नही होती है।

3(4)—निर्णय के अनुसार प्रार्थी ने आवेदन पेश किया है वह मात्र स्थगन आवेदन पत्र का निर्णय ही है मूल वाद अभी भी सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जिस मूल वाद में साक्ष्य के पश्चात भूमि की कीमत, आवश्यकता उपयोगिता व वेकल्पिक लाईन इत्यादि बाबत समस्त तथ्य तय होगें। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का यह भी निवेदन है कि यदि न्यायालय इन तथ्यों पर अस्थाई व्यादेश के आवेदन पत्र के निर्णय में अंकित तथ्यों के आधार पर कोई निर्णय पारित करना चाहे तो प्रार्थी व अप्रार्थी की तरफ से पूर्ण साक्ष्य सबूत पेश करने व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिऐ जाने के बाद ही प्रकरण को निस्तारित किया जाना उचित व विधि सम्मत है यह ही न्याय की मन्शा होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन सारहीन आधार हीन व भ्रामक होने से सव्यय निरस्त करने एवं विकल्प में माननीय सिविल न्यायालय के

स्थायी लोक अदालत नागौर (राजस्थान)

कार्यालय, नागौर

आदेश दिनांक 31.5.2022 के अनुसार मुआवजा राशि बाबत, भूमि के उपयोग में कमी आने बाबत वैकल्पिक रास्ता होने बाबत लाईन के ऐलाईन्मेन्ट व अन्य आपत्तियों बाबत विचारण के बाद निर्णय किऐ जाने हेतु निर्देशित किये जाने से उसी अनुक्रम में आपत्तियों का निस्तारण फरमाते हुऐ प्रकरण हाजा को निरस्त फरमाया जावे।

4–वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर द्वारा दी.वि.प्र.सं.–14/2022 गुलाबचंद बनाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर जरिये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 के कम में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कृष्णपुरा के खसरा नम्बर 530/220 में भारतीय रेल्वे पथ का विधुतीकरण हेतु 132 केवी लाईन के टावर संख्या–20 लगाने, तार खींचने/लाईन डालने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में कार्यालय संभागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) अजमेर की अधिसूचना दिनांक 27.05.2021 के अनुसार द्वारा उक्त कार्य करने हेतु संभागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उदेश्य से बिजली की लाईनों या बिजली संयत्रों का खड़ा करने के लिए मार्ग–अधिकार अर्थात राईट ऑफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ होने से संभागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) अजमेर द्वारा 132 के वी गोगेलावर से 132/25 के वी रेलवे टी एस एस भड़वासी (भदवासी) हेतु द्विपथीय टॉवर पर 132 के वी एकल परिपथ लाईन(लगभग 11.0 कि.मी) के निर्माण के लिए मार्ग–अधिकार अर्थात राईट ऑफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी की गई है। उक्त अधिसूचना का दिनांक 29.06.2021 को सांध्य ज्योति दर्पण अखबार में प्रकाशन भी किया गया। उक्त अखबार प्रकाशन उपरान्त उपरान्त 132 केवी विधुत लाईन बिछाये जाने का रूट अधीक्षण अभियन्ता राज.विधुत प्रसारण निगम मेड़तासिटी द्वारा पत्रांक–571 दिनांक 07.07.2021 को अनुमोदित कर दिया जो रूट मेप अनुसार उक्त रूट की लम्बाई 10.250 किलोमीटर है, जो तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त बताया गया है। भारतीय तार अधिनियम 1985 की धारा 10(ध) के अनुसार तारयंत्र प्राधिकारी विधुत खंभे लगाने, लाईन आदि बिछाने पर कम से कम नुकसान करने एवं नुकसान होने की दशा में तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को नुकसान के लिए पूर्णप्रतिकर देने दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान अनुसार नुकसान के लिए प्रतिकर देने हेतु तारयंत्र प्राधिकारी अधिकृत है। अधिनियम की धारा 16(3) के अनुसार धारा 10(ध) के तहत किसी व्यक्ति को दिये जाने वाले प्रतिकर की पर्याप्तता बाबत विवाद होने पर उक्त संबंध में आवेदन जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष आवेदन करने का प्रावधान है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की भूमि को अवाप्त नहीं किया जा रहा है, भूमि का मालिक अप्रार्थी ही रहेगा, उक्त संबंध में अधिनियम की धारा 10(b) the (central government) shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across, in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post. उक्त प्रावधान से भी स्पष्ट कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की भूमि को अवाप्त नहीं किया जा रहा है। भारतीय तार अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत भूमि का किसी भी प्रकार का मुआवजा देय नहीं है तथा अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो की प्रार्थीगण द्वारा जिस स्थान पर उक्तानुसार टावर लगाने, तारलाईन खिचने पर अप्रार्थी को भूमि का मुआवजा देय होगा। नियमान्तर्गत उक्त कार्य के दौरान किसी प्रकार का फसल व फल आदि के वृक्षों का नुकसान अथवा उस सम्पति में स्थित किसी निर्माण का नुकशान होने पर ऐसे नुकसान का प्रतिकर दिये जाने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अधिसूचना का दिनांक 29.06.2021 को सांध्य ज्योति दर्पण अखबार में प्रकाशन कर देने के पश्चात 132 केवी विधुत लाईन बिछाये जाने का रूट दिनांक 07.07.2021 को अनुमोदित कर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा राईट ऑफ वे ने नीचे कमरे का निर्माण किया है। इसके अलावा में अप्रार्थी

कलक्ट्रेट, नागौर

ने उक्त भूमि के पूर्व मालिक श्री रविन्द्र से दिनांक 24.09.2021 को क्रय करना बताया है, परन्तु प्रार्थी विभाग द्वारा उक्त दिनांक 24.09.2021 से पूर्व कार्यवाही कर ली गई थी एवं उस समय उक्त भूमि के खातेदार रविन्द्र द्वारा कोई आपत्ति नहीं की। अप्रार्थी द्वारा कमरे का निर्माण उसी भूमि पर विद्युत लाईन के पथाधिकार (राईट ऑफ वे) के बीचो बीच जानबुझकर करवाया गया है, जो विधिवत नहीं है। उक्त निर्माण कार्य की प्रार्थीगण विभाग को सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी विभाग द्वारा राजस्व रेकर्ड में खातेदार रविन्द्र का नाम अंकित होने से उसे दिनांक 09.03.2022 को नोटिस दिया गया परन्तु श्री रविन्द्र द्वारा नोटिस का कोई प्रत्यूतर नहीं दिया गया। जहां तक विद्युत टॉवर/विद्युत लाईन के एलाईमेन्ट का प्रश्न है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि कि प्रार्थीगण विभाग द्वारा अप्रार्थी की सम्पति पर 132 केवी विद्युत लाईन बिछाये जाने के संबंध में टावर संख्या 20 के फाउण्डेशन/स्टब सेटिंग का कार्यपूर्ण किया जा चुका है एवं सम्पूर्ण लाईन तकनीकी सर्वे के बाद ही कम से कम दूरी वाले पथ पर डाली जा रही है, कुछ खम्भों का मार्ग बदलना तकनीकी रूप से संभव भी नहीं है। उक्त 132 केवी विद्युत लाईन बिछाये जाने आदि का कार्य भारतीय रेल्वे पथ का विद्युतीकरण हेतु किया जा रहा है, जो भारत सरकार की जनहित में एक अति महत्वकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत निर्माण कार्य 132 केवी गोगेलाव जीएसएस से निकल कर ग्राम कृष्णपुरा से होते हुए रेल्वे टी.सी.एस.भदवासी तक जा रही है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा जबाब में की गई आपत्तिया ठोस आधारों पर होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। **5**–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण को ग्राम कृष्णपुरा के खसरा नम्बर 530/220 में भारतीय रेल्वे पथ का विद्युतीकरण हेतु 132 केवी लाईन के टावर संख्या–20 लगाने, तार खींचने/लाईन डालने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य के दौरान किसी प्रकार का नुकसान होने पर, नुकसान के संबंध में विधिक प्रावधानों अनुसार प्रतिकर राशि का निर्धारण किया जाकर अप्रार्थी को अदा किया जावे।

6–आदेश सुनाया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर नागौर